

न्यायालय उप जिला कलेक्टर तोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं ५७/१७ तारीख २५/१७


उत्पान - राजन बेनाम कुष्णकुमार

दावा वावत इस्तरार हक, ~~सर्वी~~
डिवाजन आफ हाउसिंग अंतर्गत धारा ५३,
५३, १०० RTACT

वादी की ओर से श्री राम भोशेसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत तफारुमा व घोषणा खोतदारी अंतर्गत धारा ५३, १०० RTACT पेश किया। डा. पदापत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक ५/७/१७ को पेश हो।

1861-62

25-5-17


उपजिला कलेक्टर
तोडाभीम (उ.प्र.)


५.७.१७

वादी वकील उप.। प्रतिवादी नं. १ स्वयं उपस्थित प्रतिवादी नं. २ बरजूद हत्या उप. नहीं। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। कानून पेश करने के बाद दि. ८.८.१७ को पेश हो।




८/७

वादी वकील उपस्थित। गाना कुमार दिनांक १९.९.१७ को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
तोडाभीम

१९.९.१७

वादी वकील उप.। गाना कुमार दि. ११-१०-१७ को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
तोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>11-10-17</p> <p>Hot Press</p> <p>Luv</p> <p>---</p>	<p>वादी वकील उप०/ वादी वकील ने कथन किया कि वादी अब इस मुकदमे को ड्रागे चलाना नहीं चाहता इस Not Press में खारिज कर दिया जो Not Press किये जो से वह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल नुमा होमा नम्बर से कम होमा दाखिल दफता हो।</p>